रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1830] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2010/भाद्र 12, 1932
No. 1830] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2010/BHADRA 12, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

सं. 70/2010-आयकर

**का.आ. 2174(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 881(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) प्रस्तावना में, क्रम संख्या '1 से 8' के शब्दों एवं आंकड़ों के लिए 'क्रम संख्या 1 से 9' के शब्द एवं आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैरा (ख), (ग) एवं (घ) में, जहां भी "संयुक्त आयकर निदेशक" शब्द आया है वहां "अपर आयकर निदेशक या संयुक्त आयकर निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) अनुसूची के लिए, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

| क्र. सं. | आयकर प्राधिकारियों का पदनाम | मुख्यालय | भौगोलिक क्षेत्र | व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी | शक्तियां एवं कर्तव्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), दिल्ली-I | नई दिल्ली | (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र | I. कालम 4 में (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए' से 'एम' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है, अर्थात् :—<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) | (क) क्रमांक 1 के कालम (5) की मद Iक एवं II (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;<br>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;<br>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(ङ) क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं; | कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां<br>(ख) क्रमांक 1 के कालम (5) की मद I (ख), I(ग), I(घ) एवं I (ङ), तथा II (ख), II(ग), (घ) एवं II(ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां। |
| | | | (ii) हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर आने वाले क्षेत्र। | II कालम 4 में (i) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अन्दर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | है जो क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है;<br>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;<br>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(ङ) क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं; | |
| 2. | आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली -II | नई दिल्ली | (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र | I. कालम 4 में (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'एन' से 'जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है, अर्थात् :—<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है; | (क) क्रमांक 2 के कालम (5) की मद I क II क एवं III (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।<br>(ख) क्रमांक 2 के कालम (5) की मद I (ख), I(ग), I(घ) एवं I(ङ) तथा II (ख), II(ग), II (घ) एवं II(ङ) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;<br>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(ङ) क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं ; | 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां ।<br>(ग) क्रमांक 2 के कालम (5) की मद III (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों को छोड़कर सभी कार्य एवं शक्तियां । |
| | | | (ii) का.आ. 732 (अ) दिनांक 31-7-2001, का.आ. 733(अ) दिनांक 31-7-2001 तथा का.आ. 185(अ) दिनांक 12-2-2007 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य में सीसीआईटी, कानपुर, सीसीआईटी, गाजियाबाद तथा सीसीआईटी, देहरादून के क्षेत्राधिकार में आने वाले भौगोलिक क्षेत्र । | II. क्रमांक 2 के कालम 4 में (ii) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अन्दर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 1 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है;<br>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं; | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(ङ) क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर *अधिनियम, 1961* के *अध्याय* xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है; | |
| | | | (iii) का.आ. 732 (अ) दिनांक 31-7-2001, का.आ. 733(अ) दिनांक 31-7-2001 तथा का.आ. 185(अ) दिनांक 12-2-2007 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश में सीसीआईटी, लखनऊ, सीसीआईटी, बरेली के क्षेत्राधिकार में आने वाले भौगालिक क्षेत्र । | III. क्रमांक 2 के कालम 4 में (iii) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अन्दर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 2 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है। | |
| 3. | आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-I, मुम्बई | मुम्बई महाराष्ट्र | महाराष्ट्र राज्य में –ग्रेटर मुम्बई नगर पालिका परिषद् तथा थाणे एवं रायगढ़ जिलों की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र | क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'ए', 'सी', डी एवं 'आर से जेड' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है ।<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में | (क) क्रमांक 3 के कालम (5) की मद I क में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां ।<br>(ख) क्रमांक 3 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है;<br>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं;<br>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(ङ) क्रमांक 3 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार है ; | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां। |
| 4. | आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-II मुम्बई | मुम्बई महाराष्ट्र | महाराष्ट्र राज्य में –ग्रेटर मुम्बई नगर पालिका परिषद तथा थाणे एवं रायगढ़ जिलों की भौगोलिक सीमाओं में आने वाले क्षेत्र | क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम 'बी' एवं 'ई' से 'क्यू' तक के किसी अक्षर से शुरू होता है ।<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई व्यवसाय संबंध या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 4 के कालम (4) में | (क) क्रमांक 4 के कालम (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां ।<br>(ख) क्रमांक 4 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न होता है अथवा प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;<br>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ;<br>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;<br>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(ङ) क्रमांक 4 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii, xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं। | 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां। |
| 5. | आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), बंगलौर | बंगलौर कर्नाटक | कर्नाटक, गोवा एवं आंध्र प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;<br>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ; | (क) क्रमांक 5 के कालम (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां ।<br>(ख) क्रमांक 5 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;<br>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(ङ) क्रमांक 5 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय xvii या अध्याय xvii-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं । | |
| 6. | आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), चेन्नई | चेन्नई, तमिलनाडु | तमिलनाडु, केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी एवं लक्षदीप की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;<br>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ;<br>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;<br>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत | (क) क्रमांक 6 के कालम (5) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।<br>(ख) क्रमांक 6 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(ङ) क्रमांक 6 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं। | |
| 7. | आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), कोलकाता | कोलकाता पश्चिम बंगाल | (i) पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र | I. क्रमांक 7 के कालम (4) में (i) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;<br>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ;<br>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;<br>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है।<br>(ङ) क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर | (क) क्रमांक 7 के कालम (5) की मद 1 (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।<br>(ख) क्रमांक 7 के कालम (5) की मद 1(ख), 1(ग), 1(घ) एवं 1(ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं। | |
| | | | (ii) बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा की भौगोलिक सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र | II. क्रमांक 7 के कालम (4) में (ii) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरे कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 7 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रद्ोभूत या उत्पन्न समझा जाता है ; | (ग) क्रमांक 7 के कालम (5) की मद II (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों को छोड़कर सभी कार्य एवं शक्तियां। |
| 8. | आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), अहमदाबाद | अहमदाबाद गुजरात | (i) छत्तीसगढ़, गुजरात राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव दादरा एवं नगर हवेली की भौगोलिक सीमा में आने वाले क्षेत्र | I. क्रमांक 8 के कालम (4) में (i) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्‌भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;<br>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ;<br>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ; | (क) क्रमांक 8 के कालम (5) की मद 1 (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां।<br>(ख) क्रमांक 8 के कालम (5) की मद 1(ख), 1(ग), 1(घ) एवं 1(ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(ङ) क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं। | |
| | | | (ii) मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमा में आने वाला क्षेत्र | II. क्रमांक 8 के कालम (4) में (ii) में उल्लिखित भौगिलिक क्षेत्र के लिए<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कम्पनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 8 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है। | (ग) क्रमांक 8 के कालम (5) की मद II (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों को छोड़कर सभी कार्य एवं शक्तियां। |
| 9. | आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), पुणे | पुणे, महाराष्ट्र | (i) ग्रेटर मुम्बई नगरपालिका परिषद् तथा महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ एवं थाणे जिलों के अन्दर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य की भौगोलिक सीमा में आने वाले क्षेत्र | क्रमांक 9 के कालम (4) में (i) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के लिए<br>(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उप-धारा (23क) के अर्थ के अंदर विदेशी कंपनियों समेत अनिवासी के रूप में व्यक्ति तथा जिनका लागू दोहरा कर परिहार करार की दृष्टि से क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में 'स्थाई स्थापना' है या कोई 'व्यवसाय संबंध' या आय का कोई ऐसा स्रोत है जो क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्रों में प्रोद्भूत या उत्पन्न समझा जाता है ;<br>(ख) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोत्रों से आय आहरित करते | (क) क्रमांक 9 के कालम (5) की मद 1 (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कार्यों एवं शक्तियों समेत सभी कार्य एवं शक्तियां। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | हैं तथा क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर रहते हैं ;<br>(ग) कम्पनियों से भिन्न व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है ;<br>(घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत व्यक्ति तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का प्रधान स्थान क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है;<br>(ङ) क्रमांक 9 के कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर कोई अन्य व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII या अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर काटने के लिए जिम्मेदार हैं। | (ख) क्रमांक 9 के कालम (5) की मद (ख), (ग), (घ) एवं (ङ), में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में अनिवासियों एवं विदेशी कंपनियों को किए गए भुगतानों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित सभी कार्य एवं शक्तियां । |

2. यह अधिसूचना 2010 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 187/5/2010-आ.क.नि.I]
रमन चोपड़ा निदेशक (आयकर नि. I)

**टिप्पणी :** प्रधान अधिसूचना सं. का.आ. 881(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई तथा आखिरी बार सं. का.आ. (अ) दिनांक, सितम्बर, 2007 के तहत संशोधित की गई ।